रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938
No. 467] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2016

सा.का.नि. 672(अ.).—सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि निषेध) अधिनियम 2005 (2005 का 21) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि निषेध), सलाहकार समितियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या किए जाने के लिए लोप किया गया हो, अन्य बातों के लिए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) इन निमयों को सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि निषेध) कार्यान्वयन नियम, 2016 कहा जाए।

(2) यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होने पर,

(क) "अधिनियम" से सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि निषेध) अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार समिति" से नियम 3 के तहत नियुक्त सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से सलाहकार समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) "संगत गतिविधि" से इस अधिनियम की धारा 4 के खंड (ट) के तहत यथा अधिनिर्धारित कोई गतिविधि अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

अध्याय-I

सलाहकार समितियों की नियुक्ति, इनकी संरचना, शक्तियां तथा कार्य

3. सलाहकार समितियों की नियुक्ति- केंद्र सरकार निम्नलिखित सलाहकार समितियों की नियुक्ति करेगी अर्थातः-

(i) सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संबंधी सलाहकार समिति;

(ii) परमाणु तथा परमाणु संबंधी मदों संबंधी सलाहकार समिति;

(iii) रासायनिक हथियारों तथा इससे संबंधित मदों संबंधी सलाहकार समिति;

(iv) जैविक हथियारों तथा इससे संबंधित मदों संबंधी सलाहकार समिति;

(v) दोहरे प्रयोग वाले मदों के निर्यात नियंत्रण संबंधी सलाहकार समिति।

4. सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संबंधी सलाहकार समिति की संरचना - (1) सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संबंधी सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे अर्थात्:-

(क)	संयुक्त सचिव (निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले), विदेश मंत्रालय	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	वैज्ञानिक सचिव, अंतरिक्ष विभाग	पदेन सदस्य;
(ग)	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार अभिसमय	पदेन सदस्य;
(घ)	मुख्य नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (उत्पाद समन्वयन तथा सेवा वार्ता), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ङ)	आयुक्त (राजस्व आसूचना एवं अन्वेषण) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(च)	अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(छ)	संयुक्त सचिव, रासायनिक तथा पेट्रोरसायन विभाग, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ज)	संयुकत सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	पदेन सदस्य;
(ञ)	निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;

IndiaCode

(ठ)	अपर विदेश व्यापार महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ड)	वैज्ञानिक "जी" अथवा सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रौद्यौगिकी मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ढ)	निदेशक (रसायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु), मुख्यालय, समेकित रक्षा स्टाफ, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ण)	निदेशक (निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले), विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना के जरिए की जाएगी।

5. परमाणु तथा परमाणु मदों संबंधी सलाहकार समिति की संरचना- (1) परमाणु तथा परमाणु मदों संबंधी सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-

(क)	प्रमुख, परमाणु नियंत्रण तथा आयोजना स्कंध (एनसीपीडब्ल्यू), परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(ग)	संयुक्त सचिव, (ईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(घ)	विधिक सलाहकार, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(ङ)	अपर अथवा संयुकत महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(च)	अवर सचिव (तस्करी रोध एकक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(छ)	विदेश व्यापार संयुकत महानिदेशक विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ज)	वैज्ञानिक "ई" अथवा उससे ऊपर, रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	निदेशक, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ञ)	उप सचिव (निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	निदेशक, नीति आयोजना (अभिकल्पना तथा प्रशिक्षण) सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ठ)	वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु नियंत्रण तथा आयोजना स्कंध, (एनसीपीडब्ल्यू), परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना के जरिए की जाएगी।

6. रासायनिक हथियारों और संबंधित मदों के लिए सलाहकार समिति का गठन- (1) रासायनिक हथियारों और संबंधित मदों के लिए सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:-

(क)	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय रासायनिक हथियार अभिसमय प्राधिकरण (एनएसीडब्ल्यूसी)	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	निदेशक, रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ग)	निदेशक, राजस्व विभाग में केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;

IndiaCode

(घ)	अवर सचिव (तस्कर विरोधी ईकाई), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ङ)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(च)	निदेशक आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(छ)	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ज)	वैज्ञानिक 'छ' रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	निदेशक, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ञ)	अपर या संयुक्त महानिदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	निदेशक (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ठ)	संयुक्त निदेशक, रासायनिक हथियार अभिसमय राष्ट्रीय प्राधिकरण	पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना के जरिए की जाएगी।

7. जैविक हथियारों और संबंधित मदों के लिए सलाहकार समिति का गठन- (1) जैविक हथियारों और संबंधित मदों के लिए सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:-

(क)	वैज्ञानिक 'छ' या सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	निदेशक (खतरनाक पदार्थ प्रबंध प्रभाग), पर्यावरण और वन मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ग)	निदेशक, राजस्व विभाग में केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(घ)	अवर सचिव (तस्कर विरोधी ईकाई), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ङ)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(च)	निदेशक, रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(छ)	निदेशक आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ज)	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	वैज्ञानिक 'ङ' या उससे ऊपर, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान से, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;

IndiaCode

(ञ)	निदेशक, नीति नियोजन (अवधारणा और प्रशिक्षण) सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	अपर या संयुक्त महानिदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ठ)	उप सचिव (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना के जरिए की जाएगी।

8. दोहरे उपयोग की मदों के निर्यात नियंत्रण से संबंधित सलाहकार समिति का गठन- (1) दोहरे उपयोग की मदों के आयात नियंत्रण से संबंधित सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:-

(क)	अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	पदेन अध्यक्ष;
(ख)	संयुक्त सचिव, उद्योग और खनिज (आई एंड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(ग)	निदेशक (नि:शस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले) विदेश मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(घ)	निदेशक, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ङ)	वैज्ञानिक "ङ" या वैज्ञानिक "च" जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(च)	संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक हथियार अभिसमय प्राधिकरण	पदेन सदस्य;
(छ)	वैज्ञानिक या अभियंता-एसजी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) मुख्यालय	पदेन सदस्य;
(ज)	निदेशक (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन- II) गृह मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(झ)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य;
(ञ)	निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ट)	निदेशक या उपसचिव, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ठ)	संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा ifj"kn~~ सचिवालय	पदेन सदस्य;
(ड)	अपर या संयुक्त महानिदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य;
(ढ)	अवर सचिव (तस्कर विरोधी ईकाई), राजस्व विभाग, वित्त	पदेन सदस्य;

IndiaCode

मंत्रालय

(ण) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — पदेन सदस्य सचिव;

(2) सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना के जरिए की जाएगी।

9. कार्यकालः- जिस पद की हैसियत से किसी सदस्य को नामित किया गया है उसके नहीं रहने पर किसी सदस्य का कार्यकाल तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा।

10. सलाहकार समिति की बैठकः- जब अध्यक्ष महोदय आवश्यक समझेंगे तब सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

11. बैठक की अध्यक्षताः- अध्यक्ष सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

12. सर्वसम्मति द्वारा निर्णयः- सलाहकार समिति की बैठक में उठाए गए सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों की आम सहमति द्वारा किया जाएगा।

13. सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली के संबंध में सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य- (1) सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली के संबंध में सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नवत होंगेः-

(क) सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों से संबंधित मामलों में एक राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ख) सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों से संबंधित प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन और विनियमन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना;

(ग) अन्य सलाहकार समितियों के क्रियाकलापों का समन्वयन करना;

(घ) अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य मामले में किसी अन्य सलाहकार समिति को ऐसे निर्देश देना जोकि आवश्यक हो या समीचीन हो;

(ङ) सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों से संबंधित किसी मामले के बारे में अन्य सलाहकार समितियों से सहायता प्राप्त करना।

(2) सलाहकार समिति कार्यसूची की अपेक्षा के अनुसार अपनी बैठक में अन्य सरकारी विभागों या सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, से विशेषज्ञ आमंत्रित कर सकती है।

14. परमाणु और परमाणु से संबंधित मदों से जुड़ी सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य- (1) परमाणु और परमाणु से संबंधित मदों के बारे में सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य होंगेः-

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33वां) के प्रावधानों में सामंजस्य बिठाने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ख) परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों या किसी अन्य संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित अपराधों के अभियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ग) सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों से संबंधित सलाहकार समिति के अनुरोध के अनुसार विखंडनीय रेडियोधर्मी सामग्री, परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण और उनकी सुपुर्दगी के साधनों या कोई अन्य संबंधित क्रियाकलापों के बारे में अनुशंसाएं करना;

(घ) सामूहिक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों से संबंधित सलाहकार समिति द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों का अनुपालन करना और पूरा करना।

(2) सलाहकार समिति कार्यसूची की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी बैठक में अन्य सरकारी विभागों या सरकारी क्षेत्र के संस्थानों से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

15. रासायनिक हथियारों और संबंधित मदों से जुड़ी सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य- (1) रासायनिक हथियारों और संबंधित मदों से जुड़ी सलाहकार समिति की शक्तियां और कर्तव्य निम्नवत होंगेः-

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों और रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34वां) के प्रावधानों में सामंजस्य बिठाने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ख) रासायनिक हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के साधनों या किसी अन्य संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित अपराधों के अभियोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ग) रासायनिक हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों अथवा किसी अन्य संबंधी गतिविधियों से जुड़े ऐसे मामलों पर सिफारिशें करना जिसका अनुरोध सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के उपायों संबंधी सलाहकार समिति द्वारा किया गया हो;

(घ) सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों संबंधी सलाहकार समिति द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन और कार्यान्वयन करना।

(2) सलाहकार समिति अपनी बैठकों में कार्यसूची की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

16. जैविक हथियारों और संबंधी वस्तुओं संबंधी सलाहकार समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य- (1) जैविक हथियारों और संबंधी वस्तुओं संबंधी सलाहकार समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य होंगेः-

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के प्रावधानों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देना;

(ख) जैविक हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े अपराधों के अभियोजन के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देना;

(ग) जैविक हथियारों और उनकी सुपुर्दगी के उपायों अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े ऐसे मामलों पर सिफारिश करना जिसका अनुरोध सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों संबंधी सलाहकार समिति द्वारा किया गया हो;

(घ) सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों संबंधी सलाहकार समिति द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन और कार्यान्वयन करना।

(2) सलाहकार समिति अपनी बैठकों में कार्यसूची की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

17. दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी सलाहकार समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य- (1) दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी सलाहकार समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य होंगेः-

(क) विदेशी व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के प्रावधानों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु उठाए गए कदमों के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ख) दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण अथवा अन्य संबंधी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के अभियोजन के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ग) दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण अथवा अन्य संबंधी गतिविधियों से जुड़े ऐसे मामलों पर सिफारिश करना जिसका अनुरोध सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों संबंधी सलाहकार समिति द्वारा किया गया हो;

(घ) सामूहिक विनाश के हथियारों तथा उनकी सुपुर्दगी के उपायों संबंधी सलाहकार समिति द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन और कार्यान्वयन करना;

(ङ) वैश्विक सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार उद्देश्यों पर समझौता किए बिना विदेश व्यापार नीति तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका में समय-समय रेखांकित विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण तथा प्रौद्योगिकी (स्कॉमेट) विनियमों में सुधार के लिए सिफारिश करना।

(2) सलाहकार समिति अपनी बैठकों में कार्यसूची की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

अध्याय-II

18. कतिपय गतिविधियों से संबंधित वस्तुओं की पहचान, नाम निर्धारण, वर्गीकरण अथवा विनियमन- अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत संगत गतिविधियों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात, अंतरण, पुनः अंतरण, यानांतरण अथवा पारगमन की पहचान, नाम-निर्धारण, वर्गीकरण अथवा विनियमन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मदों को विनियमित किया जाएगा, अर्थातः-

(क) कोडिंग की सामंजस्य प्रणाली पर आधारित भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण [आईटीसी(एचएस)] वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में प्रकाशित विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण तथा प्रौद्योगिकी (स्कॉमेट) के तहत आने वाली वस्तुएं जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) के तहत अधिसूचित किया गया है।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अंतर्गत अधिसूचित निर्धारित सामग्री, निर्धारित उपकरण तथा प्रौद्योगिकी की अनुसूची के तहत आने वाली वस्तुएं।

19. लाइसेंस प्राधिकारीः- अधिनयम की धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए-

(क) कोडिंग की सामंजस्य प्रणाली पर आधारित भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण [आईटीसी(एचएस)] वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में प्रकाशित स्कॉमेट (विशेष रसायन जीन सामग्री उपकरण तथा प्रौद्योगिकी) की श्रेणी 1 से 7 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्यात के प्रयोजन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी होगा।

(ख) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1992 का 33) के तहत निर्धारित सामग्रियों, निर्धारित उपकरण तथा प्रौद्योगिकी की अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्यात के प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव, उद्योग एवं खनिज (आई एवं एम) लाइसेंस प्राधिकारी होंगे।

[फा. सं. एई-**I**/1060/6/2016]

अमनदीप सिंह गिल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2016

G.S.R. 672(E).—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005) and in supersession of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems, Appointment of Advisory Committees and their Powers and Duties Rules, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Implementation Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005;

(b) "Advisory Committee" means the Advisory Committee appointed under rule 3;

(c) "member" means a member of the Advisory Committee and includes its Chairperson;

(d) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(e) "relevant activity" means any activity as identified under clause (j) of section 4 of the Act;

(f) "section" means a section of the Act;

(g) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER I

Appointment of Advisory Committees, their composition, powers and duties

3. Appointment of Advisory Committees – The Central Government shall appoint the following Advisory Committees, namely:-

(i) the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System;

(ii) the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items;

(iii) the Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items;

(iv) the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items; and

(v) the Advisory Committee on Export Control of Dual-Use Items.

4. Composition of Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System. – (1) The Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System shall consist the following members, namely:-

(a) Joint Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs –	*ex officio* Chairperson;
(b) Scientific Secretary, Department of Space-	*ex officio* member;
(c)Joint Secretary, National Authority, Chemical Weapons Convention-	*ex officio* member;
(d) Chief Controller Research and Development (Product Coordination and Service Interaction), Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence –	*ex officio* member;
(e) Commissioner (Revenue Intelligence and Investigation) Department	*ex officio* member;

of Revenue, Ministry of Finance –

(f) Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Department of Revenue, Ministry of Finance-	*ex officio* member;
(g) Joint Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers-	*ex officio* member;
(h) Joint Secretary (Disaster Management) in the Ministry of Home Affairs-	*ex officio* member;
(i) Joint Secretary, National Security Council Secretariat-	*ex officio* member;
(j) Director in the Ministry of Environment and Forests-	*ex officio* member;
(k) Senior Scientific Officer, Department of Atomic Energy-	*ex officio* member;
(l) Additional Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry-	*ex officio* member;
(m) Scientist "G" or Adviser, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology-	*ex officio* member;
(n) Director (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear*), Headquarters, Integrated Defence Staff in the Ministry of Defence-	*ex officio* member;
(o) Director (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs-	*ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

5. Composition of the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items. – (1) The Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items shall consist of the following members, namely:-

(a) Head, Nuclear Controls and Planning Wing(NCPW), Department of Atomic Energy-	*ex officio* Chairperson;
(b) Senior Scientific Officer, Department of Atomic Energy-	*ex officio m*ember;
(c) Joint Secretary (ER), Department of Atomic Energy-	*ex officio m*ember;
(d) Legal Advisor, Department of Atomic Energy-	*ex officio m*ember;
(e) Additional or Joint Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Department of Revenue, Ministry of Finance-	*ex officio m*ember;
(f) Under Secretary(Anti Smuggling Unit), Department of Revenue, Ministry of Finance-	*ex officio m*ember;
(g) Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry-	*ex officio m*ember;
(h) Scientist 'E' or above , from Defence Research and Development Establishment, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence-	*ex officio m*ember;
(i) Director, Disaster Management in the Ministry of Home Affairs-	*ex officio m*ember;
(j) Deputy Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs-	*ex officio m*ember;
(k) Director, Policy Planning (Concepts and Training) Army	*ex officio m*ember;

IndiaCode

Headquarters, Ministry of Defence-

(l) Scientific Officer, Nuclear Controls and Planning Wing (NCPW), Department of Atomic Energy- *ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

6. Composition of Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items.- (1) The Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items shall consist of the following members, namely:-

(a) Joint Secretary, National Authority Chemical Weapons Convention (NACWC)- *ex officio* Chairperson;

(b) Director, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers- *ex officio m*ember;

(c) Director, Central Revenue Control Laboratory in the Department of Revenue, Ministry of Finance- *ex officio m*ember;

(d) Under Secretary (Anti Smuggling Unit), Department of Revenue, Ministry of Finance- *ex officio* member;

(e) Senior Scientific Officer, Department of Atomic Energy- *ex officio* member;

(f) Director, Disaster Management in the Ministry of Home Affairs- *ex officio* member;

(g) Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry- *ex officio* member;

(h) Scientist 'G', Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence- *ex officio* member;

(i) Director, Army Head Quarters, Ministry of Defence- *ex officio* member;

(j) Additional or Joint Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Department of Revenue, Ministry of Finance- *ex officio* member;

(k) Director (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs- *ex officio* member;

(l) Joint Director, National Authority, Chemical Weapons Convention - *ex-officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

7. Composition of the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items.– (1) The Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items shall consist of the following members, namely :-

(a) Scientist "G" or Adviser, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology- *ex officio* Chairperson;

(b) Director (Hazardous Substances Management Division) in the Ministry of Environment and Forests- *ex officio* member;

(c) Director, Central Revenue Control Laboratory in the Department of Revenue, Ministry of Finance- *ex officio* member;

(d) Under Secretary (Anti Smuggling Unit), Department of Revenue, Ministry of Finance- *ex officio* member;

(e) Senior Scientific Officer, Department of Atomic Energy- *ex officio* member;

(f) Director, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers *ex officio* member;

IndiaCode

(g) Director Disaster Management in the Ministry of Home Affairs-	*ex officio* member;
(h) Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry-	*ex officio* member;
(i) Scientist 'E' or above, from Defence Research and Development Establishment, Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence-	*ex officio* member;
(j) Director, Policy Planning (Concepts and Training) Army Headquarters, Ministry of Defence, Ministry of Defence-	*ex officio* member;
(k) Additional or Joint Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Department of Revenue, Ministry of Finance-	*ex officio* member;
(l) Deputy Secretary (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs-	*ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

8. Composition of the Advisory Committee on Export Control of Dual-Use Items. – (1) The Advisory Committee on Export Control of Dual-Use Items shall consist of the following members, namely:-

(a) Additional Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry-	*ex officio* Chairperson;
(b) Joint Secretary, Industry and Minerals (I&M), Department of Atomic Energy-	*ex officio* member;
(c) Director (Disarmament and International Security Affairs) in the Ministry of External Affairs-	*ex officio* member;
(d) Director, Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers-	*ex officio* member;
(e) Scientist "E" or Scientist "F", Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology-	*ex officio* member;
(f) Joint Director, National Authority, Chemical Weapons Convention-	*ex officio* member;
(g) Scientist or Engineer – SG, Indian Space Research Organisation (ISRO) Headquarters-	*ex officio* member;
(h) Director (National Disaster Management-II) in the Ministry of Home Affairs-	*ex officio* member;
(i) Senior Scientific Officer, Department of Atomic Energy-	*ex officio* member;
(j) The Director (International Cooperation), Defence Research Development Organisation, Ministry of Defence-	*ex officio* member;
(k) Director or Deputy Secretary, Department of Defence Production in the Ministry of Defence-	*ex officio* member;
(l) Joint Director, National Security Council Secretariat-	*ex officio* member;
(m) Additional or Joint Director General, Directorate of Revenue	*ex officio* member;

IndiaCode

Intelligence, Department of Revenue, Ministry of Finance-

(n) Under Secretary (Anti Smuggling Unit), Department of Revenue, Ministry of Finance- *ex officio* member;

(o) The Joint Director General of Foreign Trade, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry- *ex officio* Member Secretary;

(2) The Chairperson and members of the Advisory Committee shall be appointed by a notification.

9. Term of office. – The term of office of a member shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was so nominated.

10. Meetings of the Advisory Committee. – The Advisory Committee shall meet as and when the Chairperson deems necessary.

11. Presiding at meetings. - The Chairperson shall preside at the meetings of the Advisory Committee.

12. Decision by consensus. – All questions at the meeting of the Advisory Committee shall be decided by a general consensus of the members present.

13. Powers and duties of the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System. – (1) The powers and duties of the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their Delivery System shall be –

(a) to advise the Central Government regarding the formulation and implementation of a national policy in relation to matters relating to the weapons of mass destruction and their means of Delivery;

(b) to recommend measures which should be taken for proper implementation and regulation of the provisions relating to the Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(c) to coordinate the activities of other Advisory Committees;

(d) to give such directions to any other Advisory Committee, as may be necessary or expedient, relating to any matter under the Act;

(e) to seek assistance from the other Advisory Committees with regard to any matter relating to the Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

(2) Advisory Committee may invite experts from other Government Departments or Public Sector Institutions in its meeting as per the requirement of agenda.

14. Powers and duties of the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items – (1) The powers and duties of the Advisory Committee on Nuclear and Nuclear Related Items shall be –

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to nuclear weapons or other nuclear explosive devices and their means of delivery or any other related activity;

(c) to make recommendations on such matters relating to fissile or radioactive material, nuclear weapons or other nuclear explosive devices and their means of delivery or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

(2) The Advisory Committee may invite experts from other Government Departments or Public Sector Institutions in its meeting as per the requirement of agenda.

15. Powers and duties of the Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items – (1) The powers and duties of the Advisory Committee on Chemical Weapons and Related Items shall be –

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000) with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to chemical weapons and their means of delivery or any other related activity;

(c) to make recommendations on such matters relating to chemical weapons and their means of delivery or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

(2) The Advisory Committee may invite experts from other Government Departments or Public Sector Institutions in its meeting as per the requirement of agenda.

16. Powers and duties of the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items. – (1) The powers and duties of the Advisory Committee on Biological Weapons and Related Items shall be –

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be taken to harmonise the provisions of the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to biological weapons and their means of delivery or any other related activities;

(c) to make recommendations on such matters relating to biological weapons and their means of delivery or any other related activity as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

(2) The Advisory Committee may invite experts from other Government Departments or Public Sector Institutions in its meeting as per the requirement of agenda.

17. Powers and duties of the Advisory Committee on Export Control of Dual-use Items. – (1) The powers and duties of the Advisory Committee on Export Control of Dual-use Items shall be –

(a) to make recommendation to the Central Government regarding the steps to be harmonise the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation Act, 1992 (22 of 1992)) with that of the provisions of the Act;

(b) to make recommendations to the Central Government regarding prosecution of offences relating to export controls of dual-use items or any other related activities;

(c) to make recommendations on such matters relating to export controls of dual-use items or any other related activities as may be requested by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery;

(d) to comply with and carry out such directions as may be issued by the Advisory Committee on Weapons of Mass Destruction and their means of Delivery.

(e) to recommend reforms in Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) regulations outlined in Foreign Trade Policy and Hand Book of Procedures from time to time, without compromising on global security and non-proliferation objective.

(2) The Advisory Committee may invite experts from other Government Departments or Public Sector Institutions in its meeting as per the requirement of agenda.

CHAPTER II

18. Identification, Designation, Categorization or Regulation of items related to certain activities.- For the purpose of identification, designation, categorization or regulation of the export, transfer, re-transfer, trans-shipment or transit of the items related to relevant activity under sub-section (1) of section 5 of the Act, the following items shall be regulated, namely :-

(a) Items falling under the Special Chemicals Organisms Materials Equipment Technology (SCOMET) list as appearing in Appendix 3 of Schedule 2 of Indian Trade Clarification based on Harmonized System of Coding [ITC (HS)] Classification as notified under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) by the Director General of Foreign Trade.

(b) Items falling under the Schedule of Prescribed Materials, Prescribed Equipment and Technology, notified under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) by the Department of Atomic Energy.

19. Licensing Authorities.- For the purpose specified under sub-section (2) of Section 7 of the Act-

(a) The Director General of Foreign Trade or an officer authorized by him shall be the Licensing Authority for the purpose of export of items falling under Category 1 to 7 of the SCOMET (Special Chemicals Organisms Materials Equipment and Technologies) list as appearing in Appendix 3 of Schedule 2 of Indian Trade Clarification based on Harmonized System of Coding (ITC (HS)) Classification.

(b) Joint Secretary, Industry and Minerals (I&M) in Department of Atomic Energy shall be the licensing authority for the purpose of export of the items falling under the Schedule of Prescribed Materials, Prescribed Equipment and Technology under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1992).

[F.No. AE-I/1060/6/2016]

AMANDEEP SINGH GILL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.